

†शामलात जमीन पर नाजायज कब्जा

†725. श्री श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल :  
क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की  
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965-66  
में ग्राम सभा, पटपड़गंज (दिल्ली) के प्रधान  
तथा उसके कुछ रिश्तेदारों के विरुद्ध ग्राम  
सभा की शामलात जमीन पर नाजायज  
कब्जा करने के बारे में दिल्ली प्रशासन के पास  
कुछ शिकायतें आई थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों के  
बारे में जुलाई, 1966 में नायब तहसीलदार  
द्वारा कोई जांच की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच के क्या  
परिणाम निकले और क्या उन पर कोई  
कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही  
नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

‡[†UNAUTHORISED OCCUPATION OF  
SHAMLAT LANDS

725. SHRI S. K. D. PALIWAL:  
Will the Minister of FOOD AND  
AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some  
complaints against the pradhan of  
the Gram Sabha, Patparganj (Delhi)  
and some of his relatives regarding  
unauthorised occupation of the sham-  
lat (common) lands of the Gram  
Sabha, were received by the Delhi  
Administration during the year 1965-  
66;

(b) if so, whether any enquiry was  
made regarding these complaints by  
the Naib Tehsildar during July, 1966;  
and

(c) if so, what were the results of  
the enquiry and whether any action  
was taken thereon; and if no action  
was taken, the reasons therefor?]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और  
सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री  
एम० एस० गुरुपादस्वामी) : (क) जी  
हां ।

(ख) नायब तहसीलदार (पंचायत)  
ने जांच की थी ; प्रधान, जिसे अतिक्रमण  
करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की  
सलाह दी गई थी, के अनुरोध पर उन्होंने  
गांव सभा की भूमि का सीमांकन करने के  
लिये गांव का दौरा किया ।

(ग) सीमांकन के दौरान नायब तहसील-  
दार (पंचायत) को कुछ अतिरिक्त अति-  
क्रमणों का पता और उन्होंने उनके बारे में  
रिपोर्ट की । एक अतिक्रमण, जिसका पता  
नायब तहसीलदार ने लगाया था, प्रधान के  
एक संबंधी द्वारा किया गया था । प्रधान को  
सलाह दी गई है कि वह अतिक्रमण करने  
वालों पर कानूनी कार्यवाही करे और खाद्य  
विकास अधिकारी को इस बात पर निगरानी  
रखने का निदेश दिया गया है ।

‡[THE MINISTER OF STATE IN  
THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE,  
COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION  
(SHRI M. S. GURUPADASWAMY):  
(a) Yes, Sir.

(b) Enquiry was made by the Naib  
Tehsildar (Panchayats); he visited  
the village for demarcating the Gram  
Sabha land on the request of the  
Pradhan, who had been advised to  
take action against the encroachers.

(c) In course of demarcation, the  
Naib Tehsildar (Panchayats) detected  
some additional encroachments and  
reported the same. One encroachment  
found by the Naib Tehsildar was  
made by a relative of the Pradhan.  
The Pradhan has been advised to ini-  
tiate legal action against the en-  
croachers and the Block Development  
Officer was directed to keep a watch  
over it.]

†Transferred from the 9th June, 1967.

‡ [ ] English translation.